प्रेस विज्ञप्ति

09.10.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ ने अवैध खनन की गतिविधि के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), **2002** के प्रावधानों के तहत मेसर्स तिरुपति रोडवेज और अन्य से संबंधित और श्रीमती रवनीत सभरवाल पत्नी गुरप्रीत सिंह सभरवाल (मेसर्स तिरुपति रोडवेज की एकमात्र मालिक) से संबंधित **1.62** करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने हरियाणा के पंचकूला के रत्तेवाली गांव में अवैध खनन से संबंधित राज्य सतर्कता ब्यूरो, पंचकूला, हरियाणा द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें रेत, बजरी, पत्थर और अन्य की अनुमेय सीमा से अधिक खनन से हरियाणा सरकार को कम से कम **35** करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है।

ईडी ने अपराध की आय (पीओसी) और अवैध खनन के माध्यम से अर्जित आय का गुरप्रीत सिंह सभरवाल, उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित संस्थाओं द्वारा धारित अचल और चल संपत्तियों में आगे उपयोग करने का पता लगाने के लिए अपनी जांच शुरू की। जांच के दौरान, अवैध खनन के माध्यम से अर्जित धन का उपयोग करके खरीदी गई श्रीमती रवनीत सभरवाल (पत्नी गुरप्रीत सिंह सभरवाल) की **1.62** करोड़ रुपये की भूमि के रूप में अचल संपत्तियों की पहचान की गई और उन्हें कुर्क कर दिया गया।

भूमि के रूप में **1.62** करोड़ रुपये की **02** अचल संपत्तियों में अपराध की आय/धन शोधन में सम्मिलित संपत्ति शामिल हैं, जिन्हें पीएमएलए, **2002** के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है। श्रीमती रवनीत सभरवाल के स्वामित्व वाली कुर्क की गई भूमि अवैध खनन के माध्यम से अर्जित पीओसी से खरीदी गई है।

आगे की जांच जारी है।